प्रेस नोट,दिनांक-14.09.2024 जनपद प्रतापगढ

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 विपिन सारस्वत द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1149/12 अ0सं0 56/12 धारा 498/323 भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट थाना हथिगवां से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- कमल प्रताप सिंह पुत्र जगत पाल सिंह निवासी समसपुर बेलहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- कमल प्रताप सिंह पुत्र जगत पाल सिंह निवासी समसपुर बेलहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 विपिन सारस्वत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.09.2024

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 राजकुमार मिश्रा मय हमराह म0आरक्षी हिना दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0- 134/20 धारा 504,506 भादिव व 3(1)द,3(1)ध,3(2),5क एससीएसटी एक्ट थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी अभियुक्ता 01- कल्पना सिंह पत्नी राहुल सिंह निवासी अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता का विवरण-

01- कल्पना सिंह पत्नी राहुल सिंह निवासी अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ। पुलिस टीम-

उ०नि० राजकुमार मिश्रा मय हमराह म०आरक्षी हिना दुबे थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट,दिनांक- 14.09.2024

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति हत्या का प्रयास, मारपीट/गाली गलौच की घटना कारित करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार दिबश के दौरान थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भीट से 02 अभियुक्ता गिरफ्तार अभियुक्ता 1 किरन देवी, 2- सावित्री देवी थाना फतनपुर के गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट/गाली गलौच की घटना के मुकदमें मु0अ0सं0- 13/2023 धारा 147,148,149,323,452,307,506,324,325 भादिव में थी वांछित।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.01.2023 को निवासी ग्राम भीट में वादी के परिजनों पर आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर कुल्हाड़ी/फरसा से हत्या का प्रयास, मारपीट/गाली गलौच की घटना आदि प्रकरण में थाना फतनपुर में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 13/2023 धारा 147,148,149,323,452,307,506,324,325 भादवि बनाम 06 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर राकेश कुमार राय के नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को उ०नि० शेषनाथ यादव मय हमराह का० दीपक राजभर, म०का० करिश्मा, म०का० मीना द्वारा देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचना, दिवश के दौरान थाना फतनपुर के मु०अ०सं०- 13/2023 धारा 147,148,149,323,452,307,506,324,325 भादिव की वांछित अभियुक्ता 1- किरन देवी पत्नी बृजेश पाल निवासी ग्राम चेर का पूरा, भीट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, 2- सावित्री देवी पत्नी संजय कुमार पाल निवासी ग्राम चेर का पूरा, भीट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम भीट से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

- 1- किरन देवी पत्नी बृजेश पाल निवासी ग्राम चेर का पूरा, भीट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़,
- 2- सावित्री देवी पत्नी संजय कुमार पाल निवासी ग्राम चेर का पूरा, भीट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शेषनाथ यादव मय हमराह का0 दीपक राजभर, म0का0 करिश्मा, म0का0 मीना थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति हत्या का प्रयास, मारपीट/गाली गलौच की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार चेकिंग के दौरान थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मधवापुर बाजार के बोलीगढहा मोड़ से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त बाल करन थाना रानीगंज के हत्या का प्रयास, मारपीट/गाली गलौच के मुकदमें मु0अ0सं0- 108/24 धारा 147,148,149,323,504,506,307,325,427,452,201 भादवि में था वांछित।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2024 को निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा(मधवापुर बाजार) में वादी के परिजनों पर आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से जानलेवा हमलाकर, गाली गलौच, मारपीट की घटना आदि प्रकरण में थाना रानीगंज में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 108/24 धारा 147,148,149,323,504,506,307,325,427,452,201 भादवि बनाम 13 व्यक्ति नामजद व 7-8 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज आदित्य सिंह के नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को उ०नि० राजनारायण यादव मय हमराह का० योगेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचना, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज के मु०अ०सं०- 108/24 धारा 147,148,149,323,504, 506, 307,325,427,452,201 भादवि के वांछित अभियुक्त बाल

करन पुत्र स्व0 रामसमुझ निवासी ग्राम कौलापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के मधवापुर बाजार के बोलीगढहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बाल करन पुत्र स्व0 रामसमुझ निवासी ग्राम कौलापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह का० योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार लूट, चोरी, मारपीट, आम्र्स एक्ट जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले जनपदीय गैंग के सदस्य, कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त पर पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम पर थाना कोतवाली नगर व थाना लालगंज में दर्ज हैं मुकदमें -

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

एएसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के नेतृत्व में गैगरूटर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

अभियुक्त थाना कोतवाली नगर के मुकदमें था वांछित

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गैंगर-टर पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के एटीएल ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग सरगना व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- पवन यादव पुत्र भगवत यादव निवासी फुलविदया थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्य) 2- पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी पूरे बेदुआ टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ 3- मुकेश श्रीवास्तव पुत्र अमृतलाल निवासी 171 आईटीआई के पीछे सरोज चौराहा, कटरा रोड़ कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 13.09.2024 को मु0अ0सं0 506/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना कोवताली नगर व थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दिबश दी रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 14.09.2024 को थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0िन0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह, कां0 हर्षदीप, म0कां0 माधुरी वर्मा द्वारा पतारसी, सुरागरसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के एटीएल ग्राउण्ड के पास से गैंगस्टर पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी पूरे बेदुआ टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त गैंग सदस्य पंकज गौतम उपरोक्त के द्वारा अपने गिरोह के सरगना पवन यादव पुत्र भगवत यादव निवासी फुलविरया थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ व (सदस्य) मुकेश श्रीवास्तव पुत्र अमृतलाल निवासी 171 आईटीआई के पीछे सरोज चौराहा, कटरा रोड़ कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर किये गये लूट की घटनाओं के संबंध में वर्ष 2019 में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 712/19 व मु0अ0सं0 713/19 धारा 392, 411 भादिव का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2020 में थाना कोतवाली नगर में चोरी किया था जिस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 588/20 धारा 457, 380, 411 भादिव का अभियोग पंजीकृत किया गया था व वर्ष 2022 में थाना लालगंज में आम्रस एक्ट के मुकदमें में जेल जा चुका है। शीघ्र ही माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर त्विरत रुप से सख्त सजा भी सुनिश्चित कराई जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी पूरे बेदुआ टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगद्ध।

आपराधिक इतिहास -

पंकज गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी पूरे बेदुआ टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 886/15 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

- 02. मु0अ0सं0 712/19 धारा 392, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- 03. मु0अ0सं0 713/19 धारा 392, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- 04. मु0अ0सं0 588/20 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- 05. मु0अ0सं0 23/22 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 06. मु0अ0सं0 506/24 धारा 2/3 उ०प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह, कां0 हर्षदीप, म0कां0 माधुरी वर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन.

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा चेतरा नहर पुल के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 11.04.2024 को निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ निवासी वादी की बहन को उसके पित द्वारा मारापीट कर जहर पिलाकर उसकी हत्या करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 123/24 धारा 302, 328, 323 भादिव बनाम 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के नेतृत्व में निरीक्षक श्री परमात्मा तिवारी मय हमराह उ०नि० शिशिर पटेल, म0उ०नि० वन्दना वर्मा, कां० सुनील कमार, कां० विपिन कुमार, कां० विनय कुमार द्वारा अभियुक्त शिवकेश सरोज पुत्र प्रहलादी सरोज निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 14.09.2024 को थानाक्षेत्र महेशगंज के चेतरा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि अपनी पत्नी को जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी।

अभियुक्त शिवकेश सरोज को मु0अ0सं0 123/2024 धारा 302, 328, 323 भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवकेश सरोज पुत्र प्रहलादी सरोज निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़। गिरफ्तार करने वाली टीमः-

निरीक्षक श्री परमात्मा तिवारी मय हमराह उ०नि० शिशिर पटेल, म०उ०नि० वन्दना वर्मा, कां० सुनील कमार, कां० विपिन कुमार, कां० विनय कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डाँ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ०नि० ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का० धर्मेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०अ०सं०-371/24 धारा 328 सीआरपीसी थाना पट्टी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम रायगढ़ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम रायगढ़ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का0 धर्मेन्द्र यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा 01 व्यक्ति को रास्ते में धमकी/ गाली गलौच,मारपीट व फायरिंग की घटना कारित कर मोबाइल छीनकर भाग जाने के प्रकरण में 02 बालअपचारी गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विक्रामपुर हनुमान मन्दिर के पास से 02 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी ग्राम नौडेरा वादी पर आरोपीगणों द्वारा रास्ते में धमकी/ गाली गलौच,मारपीट व फायरिंग की घटना का ारित कर मोबाइल छीनकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 191(2),191(3), 190,352,109,309(4) बीएनएस बनाम 05 व्यक्ति नामजद व अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय कुमार साहनी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी फतनपुर श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को थाना फतनपुर के उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह हे0का0 राजेश यादव, का0 ध्रुवेश कुमार द्वारा देखभाल

क्षेत्र तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 191(2),191(3), 190,352,109,309(4) बीएनएस से संबंधित 02 बालअपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विक्रामपुर हनुमान मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार बालअपचारी का विवरण-

02 बालअपचारी।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह हे0का0 राजेश यादव, का0 ध्रुवेश कुमार थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ।